(b) and (d) The following quantity of foodgrains of Food Corporation of India have been affected by heavy rains due to blowing of roof/covers:

Sl. No.	Name of Depot/ Port	Commo-dity	Qty. affected
1.	Kandla	Wheat	756 MT
2.	Gandhidham	Rice	1600 MT
		Wheat (Covered Godown)	2185 MT
		Wheat (in CAP)	10000 MT
3.	Jamnagar	Rice	10188 MT
		Wheat	10763 MT

(c) The actual quantity of damaged foodgrains and value thereof, will be ascertained only after completion of salvaging/segregation/drying operations which are in progress.

राजस्थान के लिये चीनी का कोटा

2641. **श्री ओंकार सिंह लखावत** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1998-99 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश में कितनी चीनी वितरित करने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया है,

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान उक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राजस्थान को चीनी का कितना कोटा आवंटित किया जायेगा तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान में उत्सवों और मेलों में आने वाली जनता के लिए चीनी की मांग को पूरा करने हेतु कोई मापदंड़ तय किये हैं, और यदि हां, तो उक्त अवसरों पर राजस्थान को वर्ष 1998-99 में कितनी अतिरिक्त चीनी आवंटित की जायेगी, और

(घ) क्या इस वर्ष अजमेर के उर्स तथा राजस्थान के पुष्कर मेले के कारण चीनी का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया जायेगा?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (घ) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन, राजस्थान सहित अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आवंटन 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति मास 425 ग्राम की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए किया जा रहा है, जो 1.1.1996 से प्रभावी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के आंवटन के लिए वर्षवार कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है । इसके अतिरिक्त, सरकार त्यौहार कोटे के रूप में लगभग एक लाख टन चीनी भी प्रति वर्ष रिलीज करती है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को त्यौहरों के दौरान वितरित करने के लिए उनकी पसन्द के महीने (महीनों) में उनके मासिक लेवी कोटे के अनुपात में आंवटित किया जाता है । राजस्थान का त्यौहार कोटा 5092 टन बैठता है ।

उपभोक्ता संगठन की उपेक्षा किया जाना

2642. **श्री ईश दत्त यादव** :

श्री रामगोपाल यादव :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कितने उपभोक्ता संगठन है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार देश के उपभोक्ता संगठनों की उपेक्षा कर रही है जिसके परिणामस्वरूप वे स्वयं को कार्य करने में असमर्थ पाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) उपभोक्ता संगठनों को सक्रिय रूप से कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार उन्हें कब तक सहायता प्रदान करेगी?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 1323 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वेच्छिक उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित क्रियाकलापों को करने के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।